सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष 0141–2227275, ई–मेल Seprd1235@gmail.com

क्रमांक एफ 4 (619) परावि/पीसी/सिविल कन्टेम्प्ट पिटीशन सं. 2128/2017/ 1987 जयपुर दिनांक 07/6/18

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त।

विषयः–जनता जल योजना के पम्प चालकों को न्यूनतम मजदूरी दर के मानदेय भुगतान के संबंध में।

संदर्भः–विभागीय समसंख्यक पत्रांक 2345 दिनांक 18.08.2017,2351 दिनांक 21.08.18, 2399 दिनांक 29.08.2017, 2482 दिनांक 06.09.2017 एवं 2538 दि0 12.09.18।

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा सिविल रिट पिटीशन संख्या 15098/12 में दिये गये निर्णय की पालना में जनता जल योजना के पंप चालको को दिनांक 01.04.2012 से न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार राशि भुगतान करने के स्पष्ट आदेश किये जा चुके है, जिनकी पालना में पंप चालकों को न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार राशि भुगतान करने की जानकारी आप द्वारा विभाग को प्रेषित की गई है। जनता जल योजना के पम्प चालकों को मानदेय का भुगतान बाबत् स्पष्ट निर्देश होने पर भी भुगतान नहीं होने के कारण शिकायतें मुख्यालय पर प्राप्त होती रहती है, जो तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए संबंधित जिलें को प्रेषित की जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ पम्प चालकों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका संख्या 443/2018, 444/2018, 445/2018, 768/2018 एवं 2128/2017 दायर हुई है।

पुनः निर्देशित किया जाता है कि

1. जनता जल योजना के पम्प चालकों को नियमानुसार देय न्यूनतम मजदूरी दर मानदेय का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक पम्प चालक के बैंक खाते में जमा करना सुनिश्चित करावे।
2. विभागीय पत्रांक 619 दिनांक 05.05.2014 के द्वारा पम्प चालकों से लॉग बुक संधारित करवाकर ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान से पूर्व प्राप्त की जावें।
3. पम्प चालकों को सप्ताह में एक दिन का अवकाश दिया जावे एवं इस दिन योजना का संचालन स्थानीय समुदाय अथवा अन्य व्यवस्था के माध्यम से सुनिश्चित किया जावे।
4. उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना होने पर उत्तरदायित्व ग्राम विकास अधिकारी एवं विकास अधिकारी का होगा।

भवदीय,

(कुंजी लाल मीना) 7/6/18
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
3. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 16.04.2018 के क्रम में सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव राज0 को कार्यालय टिप्पणी क्रमांक 10417/डीएस/एल/ सीएस दिनांक 24.05.2018 के क्रम में सूचनार्थ।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
8. श्री अनुराग शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
9. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
11. विभागीय सहायक प्रोग्रामर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

(मुकेश माहेश्वरी)
अधीक्षण अभियन्ता